कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

Email id-bsso.ladpura.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—सान्याअवि / 2022 / 1034 दिनांकः—08.12.2022

निविदा सूचना संख्या 02 / 2022—23

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ब्लॉक क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के सुचारू रुप से संचालन हेतु संचालित कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा के अधीन संचालित राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कैथून, राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महावीर नगर, राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मालारोड, राजकीय सावित्री बाई फुले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास छावनी, राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास छावनी एवं राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास नान्ता, जिला कोटा के कार्यालयों के सुचारू कार्य संचालन हेतु स्मार्ट टी.वी. वित्त वर्ष 2022—23 के लिये वांछनीय है। अतः बोनाफाईड विनिर्माता / थोक विक्रेता / होलसेल निर्माता एवं वितरण / प्राधिकृत डीलर / उप डीलर / विपणन एजेन्ट से बिनाशर्त निविदा दिनांक 22.12.2022 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट **http;//sje.rajasthan.gov.in** या लोक उपाएन पोर्टल **sppp.rajasthan.gov.in** एवं डी पी आर की वेबसाईट **www.dipronline.org** पर देखी जा सकती है।

UBN: **(SOC2223GSOB00164)**

NIB CODE: **SOC2223A0147**

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ब्लॉक लाडपुरा, जिला—कोटा

क्रमांकः—सान्याअवि / 2022 / 1035-1037 दिनांकः—08.12.2022

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर / जिला परिषद / नगर निगम कोटा।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ब्लॉक लाडपुरा, जिला—कोटा

कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

Email id-bsso.ladpura.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सान्याअवि / 2022 / 1034 दिनांकः– 08.12.2022

तकनीकि बिड निविदा 02 / 2022–23
स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ब्लॉक क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के सुचारु रुप से संचालन हेतु कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा के अधीन संचालित राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कैथून, राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महावीर नगर, राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मालारोड, राजकीय सावित्री बाई फुले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास छावनी, राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास छावनी एवं राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास नान्ता, जिला कोटा के कार्यालयों के सुचारु कार्य संचालन हेतु स्मार्ट टी.वी. वित वर्ष 2022–23 के वांछनीय है। उक्त सामग्री के क्रय एवं आपूर्ति बाबत् दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक बोलियां आमन्त्रित की जाती है–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित मूल्य	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि(Bid Security)	आर.एस. सी.एल. की फीस	निविदा ऑनलाईन करने की तिथि	निविदा डालने की तिथि	निविदा खोलने कि तिथि	डी0डी0 / धरोहर राशि जमा करवाने की तिथि
1.	6 स्मार्ट टी0वी0 43 इन्चेस	रूपये 1,80,000 लगभग	रू. 200 मात्र	रु 3600 / –	रु 500 / –	दिनांक 08.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे	दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे	दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 03:00 बजे	दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे

बिड की शर्तेः–

1. बोली प्रतिभूति बोण्ड के बिना प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. संविदा प्रपत्र, नियम / शर्ते, संविदा से सम्बन्धित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रु. 200 का डीडी / बैंकर्स चैक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा के कार्यालय में जमा कराकर 22 / 12 / 2022 दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं या वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे में, जिसके उपर " **स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा**" अंकित हो, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा के कार्यालय में **दिनांक 22.12.2022** को **दोपहर 02:00 बजे तक** पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त बिड को **दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे से** उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा में खोला जाएगा।
4. **बिड** के साथ में बिड प्रतिभूति राशि रु0 3600 / – पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी **PAN Card** की बिडदाता द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
5. **निविदादाता को सभी सामग्री की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
6. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाले संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी संविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।
7. बिड प्रपत्र में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो समान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय–समय पर किए गए संशोधन भी उक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना पर लागू होंगें।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा

कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

Email id-bsso.ladpura.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सान्याअवि / 2022 / दिनांकः–

तकनीकी बिड निविदा 02 / 2022–23

स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ

1. बिड मूहरबंद लिफाफे में, जिसके उपर " **स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा**" अंकित हो, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा के कार्यालय में दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए।
2. प्राप्त निविदा को दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
3. बिड प्रपत्र शूल्क रू. 200 / – डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नकद रसीद नं0............... दिनांक................. (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा के नाम कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य)
4. आर.एस.ए.एल शुल्क रु. 500 / – डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नं0..............................दिनांक............................
5. बिड प्रतिभूति राशि रु0 3600 / – के डी0डी0 की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बोलीदाता निम्न दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी–

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार)	
	2. फोन नंबर STD Code सहित	
	3. ई मेल आई डी	
	4.अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद (Authorised signatory) (अधिकृति पत्रसंलग्न करावें)	
	5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा
3.	बोली का सन्दर्भ	
4.	**बिड प्रतिभूति घोषणा (रू. 3600 / – के डी0डी0 की प्रति)**	
5.	बिड प्रपत्र शूल्क रू. 200 / –	डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नकद रसीद नं0...................... दिनांक.................
6.	PAN No. (पेन कार्ड) की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।	
7.	GST Registration No. (रजिस्ट्रेशन पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
8.	फर्म के बैंक खाते का विवरण 1. बैक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. IFSC कोड	
9.	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची (Black Listed) में दर्ज किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो Annexure –A में घोषणा करें।	

10.	बोलीदाता के बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/एकमात्र सोल या उप वितरक/प्राधिकृत डीलर/उप डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट होने के संबंध में घोषणा एस0आर0 11 संलग्न करें Annexure –B	
11.	संलग्न Annexure –C हस्ताक्षरित	
12.	संलग्न Annexure –D हस्ताक्षरित	
13.	संलग्न Annexure –E हस्ताक्षरित	

मै/हम **सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 01/2022 क्रमांकः–सान्याअवि/2022/1034 दिनांकः– 08.12.2022 में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए है) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समक्ष होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)– (कार्यालय)

मोबाईल नम्बर ई–मेल

Annexure-A

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure-B

एस. आर. 11

–:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:–

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट/उप विक्रेता/विक्रेता हूं/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर
ई–मेल

आजादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

Email id-bsso.ladpura.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सान्याअवि / 2022 /

दिनांकः–

तकनीकि बिड निविदा 02 / 2022–23

स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ

(अन्तर्गत सूचना संख्या 02 / 2022–23 क्रमांकः–सान्याअवि / 2022 / 1034 दिनांकः– 08.12.2022)

Annexure-C

स्मार्ट टी.वी. के लिए स्पेसिफिकेशन

क्र.स.	वांछित स्पेसिफिकेशन	आईटम विवरण
1	Size (Diagonal)	43"
2	Resolution (Minimum)	4k(3840*2160)
3	Brightness	350 nits or better
4	Contrast Ratio (Typical)	1200:01 or Higher
5	Viewing Angle (H x V)	178*178
6	Input (Minimum)	2 x HDMI, 2 x USB, 1 X Audio
7	Output (Minimum)	1 x HDMI, 1 x Audio
8	Wi-Fi Support	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Built in Support
9	Speaker	Built-in speaker (12w+12w) or higher
10	Certifications/Compliance for the quoted Item/Model	BIS, Rohs Energy Star
11	Penel Technology	LED

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि हमारी फर्म उक्त तकनीकी मापदण्ड अनुसार सामग्री सप्लाई करने को बाध्य रहेगें।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर

स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा 02/2022

नोटः–निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा प्रेषित करने समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावी होंगें।

1. निविदा दाताओं को निविदा सूचना, बिड प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय **सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा** के नाम से संबोधन करते हुए मुहर बंद **प्रथम लिफाफे** में अपनी बिड जिस पर " **स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा तकनीकी बिड**" लिखा हो में प्रस्तुत करनी होगी। **द्वितीय लिफाफे में स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा वित्तीय बिड** प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा। दोनो ही लिफाफे को **एक अन्य बडे लिफाफे** में जिस पर ' **स्मार्ट टी0वी0 के क्रयार्थ खुली निविदा " लिख कर कार्यालय में निर्धारित समय दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।**
2. बिड प्रपत्र मूहरबंद लिफाफे में कार्यालय **सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा** में व्यक्तिगत रूप से जमा कराई जा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा सकती है। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तानुसार विववरण अंकित नही किया जाता है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएं निर्धारित तिथी एवं समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। देरी एवं विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार्य नही होगी। डाक डिलीवरी में रही किसी खामी के लिए उपापन संस्था कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नही करेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :–प्रथम लिफाफा**
   (1) निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
   (2) निविदा प्रपत्र का शुल्क (रू. 200/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की प्रति)
   (3) बिड प्रतिभूति राशि रु0 3600/– के बैंक ड्राफ्ट की प्रति।
   (4) आर.एस.सी.एल. राशि रु0 500/– के बैंक ड्राफ्ट की प्रति।
   (5) Annexure-A,B,C,D हस्ताक्षरित।
   (6) GSTIn पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति।
   (7) निविदादाता को पेनकार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
   (8) अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जो बिड शर्तो के अधीन आवश्यक हो।
5. द्वितीय लिफाफा – Annexure-E हस्ताक्षरित (वित्तीय बोली प्रपत्र)
6. निविदाएं/बोली थोक विक्रेता/बोनाफाईड/प्राधिकृत डीलर/सोल एजेंट/विपणन एजेन्ट/सदव्यवहारी द्वारा ही दी जाएगी। अतः Annexure-B (एसआर–11 प्रपत्र) में घोषणा प्रस्तुत करेंगें।
7. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र** :– बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता राज्य में प्रचलित जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बोली नहीं देगा।
8. **आयकर प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बरः**–निविदादाता द्वारा पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी ।
9. **बिड प्रपत्र का मूल्यः**–बिड प्रपत्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा कार्यालय में दिनांक 20.12.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक डी0डी0/बैंकर्स चैक/नकद रू. 200/– रू. जमा करा कर भी प्राप्त किए जा सकते है।
10. **ब्लेक लिस्टेड के संबंध में घोषणाः**–निविदादाता/बोलीदाता फर्म को Annexure-A में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
11. **संविदा प्रपत्र, नियम/शर्ते, संविदा से सम्बन्धित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रु. 200 का डीडी/बैंकर्स चैक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा के कार्यालय में जमा कराकर 22/12/2022 दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय मे जमा करवाए जा सकते हैं यो वेबसाईट WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।**
12. **निविदा प्रपत्र का भरा जानाः**–निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
13. **बिड प्रपत्र शुल्क में किसी भी प्रकार की छुट प्रदान नहीं की जावेगी।**
14. **निविदादाता द्वारा राजस्थान की लघु उद्योग इकाई के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगें** :– राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति एवं वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(1)साविलेनि/2007/दिनांक 19.10.2010 परिपत्र सख्या 24/2010 के बिन्दु संख्या 8 (आई) के अनुसार 100/– रूपये के

नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदत्त आईटम का स्पष्ट उल्लेख हो। उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और निर्धारित बिड प्रतिभूति घोषणा/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. **मूल्य अधिमान** :–मूल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं उसमें किये संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार क्रय अधिमान दिया जावेगा। **प्रस्तुत दरों की तुलना प्रति आईटम एवं सभी आईटम की कुल लागत दोनो के आधार पर लिया जाकर निर्णय लिया जावेगा।**

16. **दरों का अंकनः**–दरों को शब्दों और अंको, दोनों में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाऐं। प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जो भी दर कम होगी वो उपापन संस्था द्वारा मान ली जाएगी। माल का परिदान संबन्धित स्थानों के परिसर पर किया जाएगा अतः निविदादाता को उक्त स्थानों पर एफ0ओ0आर0 दर प्रस्तुत की जानी होगी।

17. वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगीः–

(अ)वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें सभी प्रकार के खर्चो (जैसे जी0एस0टी0, भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर सहित) **उल्लेखित की जाएगी। माल पहूँचाने का उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का भुगतान बिल पर अलग से नहीं किया जाएगा। उसे कोट की गई दर में ही सम्मिलित माना जाएगा।**

(ब)बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर(समस्त खर्चो सहित) का कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार के जीएसटी का मूल दर के निर्धारित कॉलम में मूल दर में जोड कर अंकन नही करता है तो प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी को अलग से दर्शाने या निविदादाता का किसी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नही होगा।

(स) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65 एवं 66 के अनुसार होगा।

18. **सामग्री का इंस्टालेशनः–स्वीकृतकर्ता निविदादाता द्वारा कम्पनी प्रतिनिधि के मार्फत स्मार्ट टी0वी0 का सफल इंस्टालेशन करने के उपरान्त ही भुगतान संबंधित कार्यवाही की जावेगी।**

19. अस्वीकृत किया जाना :–

(अ)निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

(ब)तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(स)अस्वीकृति की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।

20. ऑनसाईड वारन्टी/गांरटी खण्डः–निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की इंस्टालेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि कार्यालय में इंस्टालेशन की अवधि से 3 वर्ष में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है तो निविदादाता स्वयं के खर्चे पर सामग्री को बदल कर उपापन संस्था को उपलब्ध करवायेगा। **प्रदाय की जा रही सामग्री की सर्विस गारन्टी भी निविदादाता को बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी तथा सर्विस सेन्टर कोटा स्थित होना आवश्यक है।**

21. परिदान कालावधिः– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से निर्धारित कालावधि (30दिवस) के भीतर कार्यालय को प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।

22. नमूना एवं तकनीकी मापदण्ड :– Annexure-C में वर्णितानुसार सामग्री का तकनीकी रूप से निर्दिष्ट होना आवश्यक है। दिये गये तकनीकी मापदण्ड से कम की साामग्री स्वीकार्य नही होगी। जिस कम्पनी एवं मॉडल की किमत कोट की गई है उससे संबंधित कम्पनी का ब्रॉशर भी निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा या प्रस्तुत मॉडल एवं कोट की गई किमत के मॉडल के संबंध में उसके तकनीकी मापदण्ड को निविदादाता को अपने लेटरपेड पर लिख कर देना अनिवार्य होगा।

23. प्राईस – शिड्युलः– में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत् इनमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। क्रय समिति न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगी। क्रय समिति बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। क्रय समिति का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।

24. कार्यादेश की मात्रा एवं राशि की सीमाः–यदि क्रय अधिकारी निविदत्त सामग्री में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररुप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावें का हकदार नहीं होगा। दरें बोली खोले जाने की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए लागू रहेंगी। निविदादाता को चाहे कार्य आदेश अलग–अलग

समयावधी में दिये जाएं उसके द्वारा बिड प्रपत्र में भरी गई दरें ही दिनांक 31.03.2023 तक मान्य रहेगी एवं उन्ही दरों पर भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

संविदा में **स्मार्ट टी0वी0** के क्रयार्थ अनुमानित लागत रू. 180000/–का उल्लेख किया गया है। निविदादाता को उक्त लागत तक कार्य आदेश स्वीकृत किया जाना अनिवार्य नहीं होगा एवं बजट सीमा में कार्य आदेश स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर दिनांक 31.03.2023 तक दिये जा सकेगें। अनुमानित लागत से कम या अधिक के कार्य आदेश देने हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र रहेगी।

25. **बिड प्रतिभूति बोण्डः–** बिड प्रतिभूति राशि रु0 3600/– के बैंक ड्राफ्ट की प्रति बिड प्रपत्र शुल्क के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में मूहरबंद कर दिनांक 22.12.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।

26. **बिड प्रतिभूति राशि का समपहरण** :– अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :–

(I) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

(II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि हो, निष्पादित नहीं करता।

(III) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।

(IV) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

(V) जब कोई बोलीदाता स्वीकृत की गई दरों की सूचना के 7 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आर्पूति हेतु निर्धारित अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी प्रकार की पूर्व सूचना बोलीदाता को नही दी जावेगी।

(VI) यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 वं नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

(VII) बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. **करार का निष्पादनः–**

1–उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

2–सफल बोली लगाने वाले को 7 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है। उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होगें।

3–यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है 7 दिवस के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में कार्यालय उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगा या उचित समझे तो, बोली दस्तावेज मे उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगा।

4–बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य 500/– रू. के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा तथा उपापन संस्था को मूल करार पत्र उपलब्ध कराना होगा।

5–करार का सम्पादन नही किये जाने पर निविदादाता को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

6–बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरे वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.03.2023 तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा अन्यथा बोली पर शर्त संख्या 27 अनुसार कार्यवाही की जावेगी। निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(I) भागीदारी फर्मो के मामलें मे भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपिं।

(II) यदि फर्म, फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष

(III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्यांक

(IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

28. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–**

1–सफल निविदादाता को जिस सामग्री के लिये निविदाएं स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य का **2 प्रतिशत** राशि अनुबंध निष्पादन के समय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।

2–कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

3–कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो **सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा** के नाम से देय हो एवं कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो स्वीकार किया जायेगा।

4–कार्यादेश में दी गई सामग्री की संतोषप्रद रूप से आपूर्ति की जाने पर एवं इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

5–कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियत्रंण या प्रबंध मे हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

29. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः**–प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत किया जा सकेगा :–

1–जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2–जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3–प्रतिभूति निक्षेप को समपृहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4–कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उस मामले में जहॉ उपापन संस्था नमूनों को परीक्षण हेतु भिजवाती है एवं उसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त होने पर यदि निविदादाता तय समय सीमा में सामग्री को स्वयं के खर्चे पर नही बदलता है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

30. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय **30 दिवस** को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

31. **भुगतान** :–

1–आपूर्ति पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान सामग्री की जांच व सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में होने का प्रमाण पत्र स्थान(जहां सामग्री सप्लाई की गई है।) से प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

2–जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगें।

3–विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

4–फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।

5–आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :–

(1)–बिल दो प्रतियों में

(2)–पेन कार्ड की छाया प्रति

(3)–बैंक पास बुक की छाया प्रति या बैंक चैक जिसमें निविदादाता का नाम हो।

32. **वसूलियाँः**–परिनिर्धारित नुकसानी कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। क्रय समिति कम प्रदाय, टूट–फूट/नुकसान या रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वे संतोषजनक रूप से बदली नहीं जाएगी। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नही करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों मे से कर ली जाएगी । यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग प्रदायकर्ता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।

33. **निविदादाता स्वयं की शर्तेः**–यदि निविदादाता ऐसी शर्तो को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा पर संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

34. **परिसमापित नुकसानी(L.D.)**:– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानो के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते लागू होगी)

1–विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2–एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5प्रतिशत

3–आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीनचौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5प्रतिशत

4–विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5–प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

6–परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7–यदि प्रदायकर्ता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8–यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओ के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

9–परिनिर्धारित क्षति राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।

35. **पुनरादेशः**–सामान/वस्तु की राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय, अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है जो क्रय राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगीः–

(1)यदि उपापन संस्था परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ठ परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवास किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2)अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिए जा सकेंगें। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधी भी अनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी।

पुनरादेशकी सीमाएं– मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत

36. **आपूर्तिकर्ता विवर्जित करना/काली सूची में दर्ज करना**:– निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति नही की जाती है, तो दोशी फर्म को नियमानुसार काली सूची में दर्ज करने/आगामी बोलियों में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही होगा।

37. **विवाद**:–यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघंन के संबंध मे विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को **कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा** को भेजा जायेगा, उसका निर्णय अन्तिम होगा।

38. **अपील**:–यदि बोलीदाता/निविदादाता इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए उपापन संस्था द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील निर्धारित प्रक्रिया व फीस का भुगतान करने के पश्चात **कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा** को निर्णय/लोप होने के 10 दिन के भीतर कर सकेगा।

प्रथम अपील अधिकारी :– उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा

द्वितीय अपील अधिकारी :–निदेशक, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर

1. उक्त बोली शर्तो में किसी भी प्रकार की लिपकीय त्रुटी होने पर विभागीय उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
2. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्ष का (सरकार या ठेकेदार) द्वारा उदयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
3. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगें।

मै/हम **सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, जिला–कोटा** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 01/2022 क्रमांकः–सान्याअवि/2022/1032 दिनांकः– 08.12.2022 में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगें एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure-E

कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

Email id-bsso.ladpura.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—सान्याअवि / 2022 / दिनांकः—

वित्तिय बिड निविदा 02 / 2022—23

कम्प्युटर, प्रिंटर के क्रयार्थ

(अन्तर्गत सूचना संख्या 02 / 2022—23 क्रमांकः—सान्याअवि / 2022 / 1032 दिनांकः— 08.12.2022)

क्र. सं.	नाम सामग्री	सप्लाई यूनिट	कम्पनी का नाम, मॉडल नम्बर / संख्या एवं वारन्टी / गारन्टी अवधी	आपूर्ति कर्ता द्वारा निविदित दर (समस्त खर्चों एवं जीएसटी सहित) प्रति यूनिट रु. में	
				अंकों में	शब्दों में
1	**Smart T.V. 43 inches**	06 नग (दर प्रति नग ही प्रस्तुत की जाए)			

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

पूर्ण पता

बिड दाता का नाम

टेलीफोन न0 (निवास)—
(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर
ई—मेल

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.